File No.25-3099/124/2023- -3-

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (गोपन) अनुभाग-3

संख्या: 1193 /2023-सी0एक्स0-3

लखनऊ: दिनॉक २६ सितम्बर, 2023

अधिसूचना

चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश राज्य के उपभोक्ताओं को दादरी भवाना नागल पाइपलाइन द्वारा गैस आपूर्ति के लिए किया जाता है ;

और चूँकि उसके सम्बन्ध में किसी सूचना से, या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने से शत्रु को लाभ पहुँचेगा ;

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनॉक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनॉक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 [अधिनियम संख्या-19 सन् 1923] की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या:एस0ओ0-1285,दिनॉक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 [अधिनियम संख्या 19 सन् 1923] की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
वाल्व स्टेशन-2, ग्राम-ख्यावड़ी, तहसील और जिला-शामली, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में	खसरा संख्या-293 मि0 अश्वनी कुमार त्यागी।
पश्चिम में-	खसरा संख्या-292 शेखर की भूमि आदि।
उत्तर में-	खसरा संख्या-271 (सड़क)।
दक्षिण में-	खसरा संख्या-290 शेखर की भूमि आदि।

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)

Signed [illegible]

Date: 22-09-2023 11:20:47

Reason: Approved